27-2-23	वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई। वादीगण स्वंय उपस्थित, वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 89, 91, 92(क) व 188 R.T.A. मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वादीगण ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण मे प्रतिवादीगण के विरुद्ध अब आगे कोई कार्यवाही नही करवाना चाहते है, तथा भविष्य मे हम वादीगण एंव पूनम पुत्री रघुवीर सिंह उक्त आराजियात बाबत किसी भी न्यायालय मे किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही या चाराजोई नही	सन्तोष चन्द पुतम सिंह कुलदीप Kaluram निर्मला पुनमराठौड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा

करेगे, अतः वाद पत्र इसी स्तर पर खारीज फरमाया जावे।

मैंने प्रस्तुत वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रकरण मे वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने से वादीगण का वाद पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा